OFFICE OF CHIEF FIRE- OFFICER PRAYAGRAJ / PRATAPGARH

Letter No. F.P. / CFO / I-3 / 2018 **Dated: 05/11/2018**

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **BRAMHA DEVI SHIV KUMAR EDUCATIONAL INSTITUTE** at **KANDHAI MADHUPUR, PRATAPGARH (UP)** comprised of **0** basement, Ground floor and **01** Upper Floor owned/occupied by **BRAMHA DEVI SHIV KUMAR EDUCATIONAL INSTITUTE KANDHAI MADHUPUR-PRATPGARH** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the Officers concerned of Fire service on **01/11/2018** (date of inspection) in the presence of **Mr. Ramakant Dwivedi, Manager of BRAMHA DEVI SHIV KUMAR EDUCATIONAL INSTITUTE KANDHAI MADHUPUR-PRATPGARH** and that the building/premises is fit for occupancy class Senior Secondary with effect from **05/11/2018** for a period of **3 (three) years** in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on **05/11/2018** at **Prayagraj** by

***Strike out whichever is not applicable.**

(Ravindra Shankar Mishra)
Chief Fire Officer
Prayagraj / Pratapgarh
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रतापगढ़ /प्रयागराज

To,
Principal
BRAMHA DEVI SHIV KUMAR EDUCATIONAL INSTITUTE
KANDHAI MADHUPUR-PRATPGARH

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to if not refill fire extinguishers timely. (Reason to be recorded)

(Ravindra Shankar Mishra)
Chief Fire Officer
Prayagraj / Pratapgarh
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रतापगढ़ /प्रयागराज

प्रबन्धक
ब्रह्मा देवी शिवकुमार एजूकेशनल इस्टीट्यूट
कन्धईपुर-मधुपुर, प्रतापगढ़

PRINCIPAL
Bramha Devi Shiv Kumar
Educational Institute
Kandhai Madhupur, Pratapgarh (U.P.)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज/प्रतापगढ़

पत्र संख्या–एफ0पी0/सीएफओ/आई–5/2020 दिनांक–2/11/2020

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

ब्रम्हादेवी शिवकुमार एजूकेशलन इंस्टीट्यूट
कन्धई मधुपुर, प्रतापगढ़

विषय–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भवन में स्थापित अग्निशमन यंत्रो/उपकरणो की फायर ऑडिट आख्या निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–सीए–डीजीएफएस–विविध–2018 दिनांक–05.03.2019 के कम में आवेदक के प्रार्थना पत्र में अंकित प्रश्नगत भवन का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

1 भवन मुख्य मार्ग पर स्थित है भवन तक फायर सर्विस के वाहन आसानी पूर्वक पहुंच सकते है एवं सुगमतापूर्वक अग्निशमन का कार्य किया जा सकता है।
2 भवन में मानक के अनुसार प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह युक्त आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा में पाए गये।
3 भवन में एनबीसी–2016 मानक के अनुसार–10,000 ली0 क्षमता का टेरिस टैंक, डाउन कामर, 30 मी0 की होजरील,450 एलपीएम का टेरिस पम्प, अपेक्षित।
4 मुख्य–मुख्य स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड एवं फा0स्टे0 का मो0 नं0 9454418576 अंकित है।
5 भवन में कार्यरत स्टाफ/कर्मियों को फायर फाइटिंग का सामान्य प्रशिक्षण दिया गया है।
6 अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन यंत्रों/उपकरणों की फायर ऑडिट आख्या निम्न शर्तो के अधीन निर्गत की जाती है।
7 भवन प्रवन्धक को निदेशित किया जाता है कि अपेक्षित अग्निशमन व्यवस्थाएं अतिशीघ्र पूर्ण कराएं तथा यंत्रों को सदैव कार्यशील दशा में बनाएं रखने हेतु मेंटिनेन्स शेड्यूल बनाया जाये एंव उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाएं।
8 भवन प्रवन्धक को निदेशित किया जाता है कि आवागमन का मार्ग अवरोधमुक्त रखे एवं वेन्टिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।
9 भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
10 किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अगिनशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
11 भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केंद्र को दी जाए तथा पायी गयी त्रुटि का निवारण कराया जाए।
12 प्रत्येक 06 माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को माक ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेन्सी इवेन्युशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाए।
13 वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने की नवीनीकरण आख्या प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
14 भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाए जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा, तथा निर्गत आख्या स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

2/11/20

(रवीन्द्र शंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज/प्रतापगढ़

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रतापगढ़/प्रयागराज